

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1576/आर-1654/2020/22-1. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/3192/1654/2020/22-1, दिनांक 02-12-2020 द्वारा पुनर्गठित “छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण नियम 2020” में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

उक्त नियमों में :-

1. नियम-3 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय :-

उपनियम-(1) प्राधिकरण का शासी परिषद का गठन

1. निर्वाचित अन्य पिछड़ावर्ग के विधायक (शासन) - अध्यक्ष
2. निर्वाचित अन्य पिछड़ावर्ग के विधायक (02 पद) (शासन) - उपाध्यक्ष
3. प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित सांसद - सदस्य
4. निर्वाचित विधायकगण -सदस्य
5. क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष -सदस्य
6. ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकतम 6 समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत)
7. आयुक्त/संचालक, पंचायत संचालनालय, नवा रायपुर -सदस्य सचिव

“प्राधिकरण शासी परिषद की बैठकों में नियमित रूप से अथवा विशेष रूप से प्राधिकरण क्षेत्र के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा.”

उपनियम-(2) प्राधिकरण का कार्यकारी परिषद का गठन

1. अध्यक्ष - छ. ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. उपाध्यक्ष - छ. ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3. सदस्य सचिव - छ. ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

“प्राधिकरण में लाये गये प्रस्ताव/विषय, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यकारी परिषद् द्वारा क्रियान्वयन/स्वीकृत किया जावेगा.”

2. नियम-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :-
प्राधिकरण की बैठकें -
“प्राधिकरण की शासी परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा कार्यकारी परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जावेगी.”
3. नियम-6 में “जायेगा।” के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :-
“प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय, दिये गये आदेश तथा निर्देशों आदि का अनुपालन एवं क्रियान्वयन जिला कलेक्टर, संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से करेंगे. कलेक्टर का यह भी दायित्व होगा कि प्राधिकरण के निर्णय तथा स्वीकृत कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा नियमित रूप से करेंगे.”
4. (अ) नियम-7 का उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :-
“अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, कार्यालयीन एवं अन्य व्यय हेतु रु. 2.00 करोड़ राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए गए बजट में से व्यय किया जा सकेगा.”
(ब) नियम-7 का उपनियम -4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :-
“राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण “प्रकोष्ठ” के लिये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये गये मुख्य बजट में से “कार्यालय एवं” आकस्मिक व्यय हेतु 3 प्रतिशत राशि व्यय का प्रावधान होगा.”
(स) नियम-7 के उपनियम-5 में कोष्ठक एवं शब्द “(राजपत्र क्रमांक 671, दिनांक 26 दिसंबर 2020)” का लोप किया जाए.
(द) नियम-7 के उपनियम-6 में उल्लेखित शब्द “किया जायेगा।” के पश्चात “प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एजेंसी से ऑडिट कराया जायेगा” जोड़ा जाए.
5. नियम-8 उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय :-
“छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 08/2016 दिनांक 02-04-2016 के प्रावधान अनुसार एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सुविधाएं देय होगी.”
6. नियम-9 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय :-
प्रकोष्ठ -
“प्राधिकरण के सुझाव/संस्तुतियों पर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाहियों का सतत् अनुश्रवण के लिये पंचायत संचालनालय में एक “प्रकोष्ठ” का गठन कर किया जायेगा.
उक्त प्रकोष्ठ में निम्नलिखित विभागीय/प्रतिनियुक्ति/संविदा अधिकारी कर्मचारी पदस्थ किये जा सकेंगे :-
(1) उप संचालक-01 पद
(2) सहायक संचालक-01 पद
(3) कार्यपालन अभियंता-01 पद
(4) सहायक अभियंता-01 पद
(5) सहायक ग्रेड-03/निज सहायक-03 पद
(6) डाटा एंट्री ऑपरेटर-03 पद
(7) भृत्य-03 पद
उपरोक्तानुसार इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान प्राधिकरण प्रकोष्ठ के आकस्मिक मद से किया जाएगा.”
7. नियम-10 में उल्लेखित शब्द “आयुक्त” के स्थान पर शब्द “आयुक्त/संचालक” प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., सचिव.